हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 03 अगस्त, 2017

संख्या वैब 66/एस.टी.–1/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2017. – संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख में बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता हैं, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाइट डब्लयू डब्लयू डब्लयू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट गोव डॉट इन पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों और सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा संशोधन प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी तथा अन्तिम अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगाः–

संशोधन प्रारूप

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में, अनुसूची ख में,–

(i) खाना 1 तथा 2 के नीचे, मद 51 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी तथा 8 अप्रैल, 2011 से रखी गई समझी जाएंगी, अर्थात्:–

"51क	मद 51 के अंतर्गत कपड़ो की सभी किस्में जिन पर बुनाई और कढ़ाई का काम किया गया है। टिप्पणः– (क) 08 अप्रैल, 2011 से 30 जून, 2017 की अवधि के लिए संगृहीत तथा व्यवहारियों द्वारा भुगतान किया गया कर प्रभारित कर की सीमा तक वापस नहीं होगा। (ख) 08 अप्रैल, 2011 से 30 जून, 2017 की अवधि के दौरान प्रभारित तथा संगृहीत कर किन्तु भुगतान न किया गया हो, तो प्रभारित कर की सीमा तक उद्रगृहणीय तथा वसूलीय होगा।''।

(ii) खाना 1 तथा 2 के नीचे, मद 52 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा तथा 08 अप्रैल, 2011 से लोप किया गया समझा जाएगा ।

EXCISE & TAXATION DEPARTMENT, HARYANA

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 3^{rd} August , 2017

No. Web. 66/ST-1/H.A. 6/2003/S.59/2017. – The following draft of amendment which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), in Schedule, B appended to said Act, is published below for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of amendment shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of ten days from the date of uploading of this notification on the official web site www.haryanatax.gov.in together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Additional Chief Secretary to Government, Haryana Excise and Taxation Department, Chandigarh from any person with respect to the draft of amendment before the expiry of the period so specified and shall take effect with effect from date of final notification:-

DRAFT AMENDMENT

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), in Schedule B,-

(i) under columns 1 and 2, after serial number 51 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted and deemed to have inserted with effect from 8^{th} April, 2011, namely:-

"51A	All varieties of textiles covered by item 51 on which knitting and embroidery work has been done. **Note:-** (a) The tax collected and paid by the dealer for the period 8^{th} April, 2011 to the 30^{th} June, 2017 shall not be refunded to the extent of tax charged. (b) Tax charged and collected during the period 8^{th} April, 2011 to 30^{th} June, 2017 but not paid shall be leviable and recoverable to the extent tax charged.

(ii) under columns 1 and 2, serial number 52 and entries thereagainst shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 8^{th} April, 2011.

EXCISE & TAXATION DEPARTMENT, HARYANA

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department